



कार्यालय कलेक्टर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

आगर-सारंगपुर रोड, आगर-मालवा, 465441 फोन नं (0) 07362-259100, (Fax) 260700

E-mail: dmagarmalwa@nic.in, Website: www.agarmalwa.mp.gov.in

क्रमांक/एसडब्ल्यू/2020/ 259

आगर-मालवा, दिनांक 20/04/2020

::आदेश::

भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना वायरस के बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं एवं कार्यालयीन आदेश क्र/एसडब्ल्यू/2020/121 दिनांक 25/03/2020 से जिला आगर मालवा में भादवि की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। अतः उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार प्रतिबंध जारी किए जाते हैं:-

1 जिला आगर मालवा को दिनांक 27/04/2020 तक टोटल लॉकडाउन किया जाता है।

उक्त दिवस में व्यक्तियों के घरों से बाहर रहने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

आवश्यक वस्तुएं यथा दुध, किराना, सब्जी की डोर टू डोर डिलेवरी की जावेगी।

2 जिला आगर मालवा की सभी मेडिकल दुकान ¼ भागों में कर सम दिवस में ½

प्रातः 08 से 02 एवं 02 से 08 तक एवं ½ विषम दिवस में बदलकर प्रातः 08 से

02 एवं 02 से 08 तक दो पालियों में आधि-आधि संख्या में खुलेगी एक दिवस जो

दुकान प्रातः की पाली में खुलेगी अगले दिन शाम की पाली में एवं जो दुकान पहले

दिन शाम को खुलेगी अगले दिन प्रातः की पाली में खुलेगी।

3 पेट्रोल पम्प, गैस सिलेण्डर वितरण कंपनी, प्रातः 10 बजे से 04 बजे तक प्रतिबंध से

मुक्त रहेगी।

4 जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकाने प्रातः 08 बजे से 05 बजे तक उक्त

प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।

उक्त आदेश 21/04/2020 से प्रभावशील होगा।

(संजय कुमार)
(संजय कुमार)
कलेक्टर
कलेक्टर

जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

क्रमांक/एसडब्ल्यू/2020/ 260

आगर-मालवा, दिनांक 20/04/2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला आगर-मालवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर-नलखेडा/ आगर-बडौद की ओर पालनार्थ।

3. अनुपनाथ जीपगा राजस्थान सुतगर-मलवा आगर-बडाव का आर पालनाथ।
4. जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला आगर मालवा की ओर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
 5. नियंत्रण कक्ष क्रं 235 की ओर सूचनार्थ।
 6. तहसीलदार तहसील समस्त की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा
(सजय कुंदर)

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा(म.प्र.)